राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http//the.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: jdplan.cce@gmail.com Phone : 0141-2706847 (o)

क्रमांकःएफ12(168)आयो/आकाशि/2024—**15814** दिनांक यथा—हस्ताक्षर

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय :—वर्षा ऋतु के दौरान महाविद्यालय भवन एवं परिसर की सुरक्षा हेतु दिशा—निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्षा ऋतु के आगमन को देखते हुए, महाविद्यालय के भवन और परिसर की सुरक्षा तथा महाविद्यालय सुचारू संचालन के लिए निम्नलिखित दिशा—निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करें —

1 महाविद्यालय भवनों की छतों पर जल भराव एवं परिसर से वर्षा जल निकासी व्यवस्था (नालियों और पाइप्स), और सीवेज सिस्टम की सफाई अविलंब रूप से सुनिश्चित की जाए।

2 महाविद्यालय ऐसे भाग जिनकी अविलंब रिपेयर की आवश्यकता है, उन्हें सांसद निधि तथा विधायक निधि, स्थानीय निकाय (नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका)/राज्य आपदा प्रबंधन कोष/महाविद्यालय विकास समिति/विद्यार्थी निधि के माध्यम से नियमानुसार प्रस्ताव एवं तकमीना संबंधित सक्षम स्तर से अनुमोदित करवाकर, तुरंत रिपेयर कार्य प्रारंभ कर दें। यदि इसके लिए नियमानुसार आयुक्तालय स्तर से अनुमति की आवश्यकता है तो संबंधित कार्रवाई करें ।

3 विद्युत उपकरण (Electrical Safety) सभी बिजली के तारों, स्विच बोर्ड और जनरेटर कक्ष का निरीक्षण कर लिया जाए ताकि बारिश में शॉर्ट सर्किट से बचा जा सके। महाविद्यालय भवन में मरम्मत से संबंधित कार्य जैसे टूटी छत, लटके हुए सरिए, खुले हुए एवं बिजली के क्षतिग्रस्त स्विच बोर्ड को तुरंत दुरुस्त करवाये। किसी भी प्रकार के स्पार्क से आगजनी या विद्युत करंट लगने का भय नहीं होना चाहिए। सभी आउटडोर लाइटों की वाटरप्रूफिंग सुनिश्चित की जाए। विद्यार्थियों के लिए निर्देश जारी करें कि बारिश के दौरान बिजली के खंभों, ट्रांसफार्मर या खुले तारों के पास न जाएँ। छत या जर्जर दीवारों के निकट आश्रय न लें।

4 महाविद्यालय के भवन के चारों ओर जल भराव के कारण नींव कमजोर हो जाती है एवं दीवार व छत ढहने की संभावना बढ़ जाती है। भवन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त ड्रेनेज, जल निकासी हेतु कच्ची/पक्की नाली बनवाएं।

5 महाविद्यालय परिसर में पानी जमा न होने दें।

6 सभी कक्षाओं और प्रयोगशालाओं की खिड़कियाँ और दरवाजे ठीक से बंद होने चाहिए ताकि बारिश का पानी अंदर न आए।

7 महाविद्यालय भवन के ऐसे कमरें जिनकी छतों की पट्टियों में दरार आ गई है, छत का प्लास्टर टूट गया है, सीलिंग तथा दीवारों में सीलन आ रही है, उनमें कक्षाएं अथवा अन्य कार्य संचालित नहीं किए जाएं। ऐसे भवन अथवा भवन के हिस्से को चिह्नित कर उस पर असुरक्षित होने का नोटिस बोर्ड लगवा कर खाली करवाना सुनिश्चित करें। महाविद्यालय के ऐसे भाग तुरंत प्रभाव से बंद कर दें।

8 महाविद्यालय के ऐसे भाग में किसी प्रकार का आवागमन (विद्यार्थियों अथवा स्टाफ अथवा अन्य का) नहीं होना चाहिए, इसकी पुख्ता व्यवस्था करें।

9 यदि भवन असुरक्षित है तो उसमें किसी भी प्रकार का अध्यापन अथवा अन्य कार्यालय कार्य संचालित न करें। किसी भी आपात स्थिति या जर्जर भवन संबंधी समस्या की सूचना तुरंत स्थानीय जिला प्रशासन को दें।

10 ऐसे महाविद्यालय जिनका भवन वर्तमान में निर्माणाधीन है जिसके निर्मित कुछ भाग/निर्मित कक्षा—कक्ष में महाविद्यालय का संचालन किया जा सकता है। कार्यकारी एजेन्सी से सम्पर्क व समन्वय स्थापित कर निर्माणाधीन भवन में महाविद्यालय संचालन किया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त दिशा—निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करें।

(कैलाश चन्द्र यादव)
अतिरिक्त आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु प्रेषित है।

1. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि आपके संभाग के महाविद्यालयों उपर्युक्त की पालना आवश्यक रूप से करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
2. बेब साईट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा विभागीय साईट पर अपलोड करने बाबत।

RajKaj Ref No.: 22549957

Signed by: KAILASH CHANDRA YADAV, Additional Commissioner
Date: 2026-06-01 18:04:47 +05:30

v-1.0